तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख इस हुक्म ... जारी
11.12.2023	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है। इसलिए लेकर पत्रावली दिनांक 18-12-23 को पेश हो।	
18-12-2023	पत्रावली पेश हुई।	
	प्रार्थीगण के वकील उपस्थित।	
	तहसीलदार समदड़ी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।	
	वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण कि ग्राम गोदो का बाड़ा तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 103/82, 106/80 व 104/82 रकबा क्रमश: 2.0882, 1.2950 व 2.0882 के खातेदार का वास्तविक एंव रिकोर्डेड नाम हुकमचन्द जोशी पुत्र बाबुलाल, मांगीलाल पुत्र बाबुलाल, खीमाराम पुत्र बाबुलाल व भीकीदेवी पत्नी बाबुलाल है। विवादित भूमि प्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाना व प्रार्थी संख्या 04 के पिता से जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। विवादित भूमि के रिकोर्ड में भूलवश राजस्व कार्मियों ने हुकमाराम पुत्र गंगाराम, हरीराम पुत्र गंगाराम, हेमाराम पुत्र गंगाराम व भीकीदेवी पत्नी गंगाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, जनाधार कार्ड में प्रार्थीगण के वास्तविक नाम दर्ज है। इसप्रकार दस्तावेजात एंव राजस्व रिकर्ड की प्रतिलिपियों में [illegible] से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के [illegible] योजनाओं का लाभ नहीं [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 का नाम [illegible]माराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर हुकमचन्द पुत्र बाबुलाल, प्रार्थी संख्या 2 का नाम हरीराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर मांगीलाल पुत्र बाबुलाल, प्रार्थी संख्या-3 का नाम हेमाराम	

खीमाराम

LT पीराराम

LT चम्पालाल

3

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.22 09:38:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुत्र गंगाराम के स्थान पर खीमाराम पुत्र बाबुलाल व प्रार्थी संख्या-5 का नाम भीकीदेवी पत्नी गंगाराम के स्थान पर भीकीदेवी पत्नी बाबुलाल दर्ज करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी संख्या 1 से 3 व पड़ौसी खातेदार रणजीतसिंह, चम्पाराम, व पीराराम के बयान कलमबंद किये गये।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 से 3 के पिता व 4 के पति के देहान्त होने के पश्चात् पारित नामान्तरकरण में प्रार्थीगण का नाम हुक्माराम पुत्र गंगाराम, हरीराम पुत्र गंगाराम, हेमाराम पुत्र गंगाराम व भीकीदेवी पत्नी गंगाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ जो अनवरत चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज से यह साबित नहीं हो रहा है कि प्रार्थी संख्या-1 हुक्माराम पुत्र गंगाराम - हुक्मचन्द पुत्र बाबुलाल, प्रार्थी संख्या-2 हरीराम पुत्र गंगाराम - मांगीलाल पुत्र बाबुलाल प्रार्थी संख्या-3 हेमाराम पुत्र गंगाराम - खीमाराम पुत्र बाबुलाल व प्रार्थी संख्या-5 भीकीदेवी पत्नी गंगाराम - भीकीदेवी पत्नी बाबुलाल है। जहाँ तक नामान्तरकरण [illegible] राजस्व रिकार्ड [illegible] के जरिये दिये जाने का [illegible] को चुनौती आवेदन जो [illegible] राजस्व [illegible] है, माध्यम नहीं होकर नियमित वाद, जो नियमित प्रक्रिया है, ही आवश्यक है, जिसमें विवादित भूमि के समस्त खातेदारान् को पक्षकार बनाकर एवं उन्हें सुनवाई का विधि सम्मत अवसर दिया जाकर इसके

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.22 09:38:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	आधार पर घोषणा के जरिये विवाद की विषय वस्तु का निर्धारण किया जाना संभव है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन साक्ष्य पुष्ट नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2024.01.22 09:38:23 IST
Reason: SelfAttested